International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 03(I), July - September, 2024, pp. 183-186

झुंझुनूं जिले में कृषि आधुनिकीकरण में प्रबंधकीय समस्याओं का अध्ययन

संगीता कुमारी*
डॉ. तरूण कुमार यादव**

सार

झुंझुनूं कृषि मण्डियों में जो कृषि उपज बिकने को आते हैं। वे प्रायः अवर्गीकृत तथा अप्रमाणित होते हैं। बहुत से किसान जानबूझकर मिट्टी या अन्य ऐसी ही मिलावट करके उपज को बेचने के लिए ले आते हैं जिसके परिणामस्वरूप किसान को अपनी उपज का कम मूल्य मिलता है। मण्डियों में किसानों की उपज की ग्रेडिंग व्यवस्था ठीक नहीं है। बिना श्रेणीकरण के यह पता लगाने में कठिनाई होती है कि कौन सा धान या गेहूँ किस किस्म का है तथा उसका क्या मूल्य मिलेगा। श्रेणीकरण के पश्चात् भिन्न–भिन्न वस्तुओं पर चिन्ह (Marks) लगाने की व्यवस्था भी गल्ले के बाजारों में नहीं है। वर्तमान समयावधि में कृषि विपणन विभाग ने एगमार्क का चिन्ह कुछ वस्तुओं में लगाकर इसमें सुधार किया है। कृषि उपज के श्रेणीकरण तथा प्रमापीकरण के अभाव में भारतीय वस्तुओं का मान अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। निर्यात संवर्द्धन समिति 1949 ने भी सरकार का ध्यान निम्न कोटि (quality) के भारतीय निर्यातों की ओर आकर्षित किया था। समय–समय पर अनेक समितियां इस दोष की ओर इंगित करती हैं। पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। कृषि वस्तुओं के वर्गीकरण से कृषि वस्तुओं के खरीददार तथा किसान दोनों के बीच आपसी विश्वास बढ़ाने में सहायता मिलती है, उपभोक्ता को इच्छानुसार श्रेष्ठ कोटि की वस्तुएं मिल जाती हैं, और उत्पादक को उसकी उपज का उचित मूल्य। दोनों को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से भारत सरकार ने कृषि उत्पादक (वर्गीकरण एवं विपणन) अधिनियम 1937 पास किया जिसके अनुसार कृषि विपणन सलाहकार को अधिकार दिया गया है कि वह कृषि उत्पादों की विभिन्न किस्मों व प्रकारों का प्रतिमान निर्धारित करे और गुण (quality) सूचक वर्गानुकूल चिन्ह निश्चित करे। इसके अनुसार ऐसी भी व्यवस्था है कि निरीक्षण और विपणन निर्देशालय उपयुक्त व्यक्तियों और संगठिन संस्थाओं को निर्धारित प्रतिमान के आधार पर वर्गीकरण और चिन्हांकित करने का अधिकार प्रमाण पत्र जारी कर सके। इस प्रकार वर्गीकृत वस्तुओं पर एगमार्क लगाया जाता है।

शब्दकोशः *कृषि उपज, विक्रय कला, एगमार्क, वर्गीकरण एवं विपणन।*

प्रस्तावना

कृषि पदार्थों के विपणन में एक दोष मूल्य सम्बन्धी सूचनाओं का अभाव है। ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को कृषि वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन की जानकारी नहीं हो पाती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने वाले स्रोतों का अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्र में पत्र–पत्रिकायें, समाचार पत्र आदि स्रोत जो कि कृषि वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करते हैं, उनका अभाव होता है, जिसके कारण परिवर्तन सम्बन्धी सूचनायें आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एक अन्य कारण ग्रामीण कृषकों का अशिक्षित होना भी है। कृषकों के अनपढ़ होने के कारण प्रायः मूल्य परिवर्तन सम्बन्धी सूचना स्रोतों को वे प्राप्त नहीं कर पाते तथा

* भूगोल विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनूं, राजस्थान।
** भूगोल विभाग, श्री जगदीश प्रसाद झाबरमल टिबड़ेवाला विश्वविद्यालय, विद्यानगरी, झुंझुनूं, राजस्थान।

उन्हें मूल्यों में होने वाले उतार–चढ़ाव की जानकारी नहीं हो पाती है। ग्रामीण कृषक जो कि अशिक्षित होते हैं, वे प्रायः गांव के महाजन व साहूकार पर निर्भर होते हैं तथा उनके द्वारा बताये मूल्यों पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। महाजन व साहूकार कृषकों की अनभिज्ञता का लाभ उठाते हुए, अपने लाभों को सर्वोपरि रखते हैं तथा उन्हें बाजार के सही मूल्यों की जानकारी नहीं देते। ग्रामीण कृषकों को मूल्य सम्बन्धी सही जानकारी न उपलब्ध होने के कारण वे बाजार में अपनी उपज को प्रचलित कीमत पर नहीं बेच पाते हैं तथा अधिकांशतः वे घाटे में रहते हैं। कृषि पदार्थों के विपणन में घाटा होने पर कृषक अधिकांशतः हतोत्साहित होते हैं।

परिवहन सुविधाओं का स्तर

वर्तमान समय में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधनों का अब भी बहुत अभाव है। अधिकांश ऐसे गांव हैं जिनके आसपास न तो कोई रेलगाड़ी की व्यवस्था है और न सड़क परिवहन की उचित व्यवस्था। ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाली अधिकांश सड़के कच्ची हैं, जिस पर बरसात के मौसम में चलना बहुत ही कठिनाईपूर्ण होता है। परिवहन के साधनों के रूप में ऊँट, खच्चर, गधा, बैलगाड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। ये साधन प्रायः ग्रामीण कृषकों को मंहगे पड़ते हैं तथा समय भी अधिक लेते हैं। यातायात की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में कृषि उपज के विपणन में बहुत कठिनाईयां आती हैं। परम्परागत यातायात के साधन आधुनिक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है। गांव से कृषि मण्डी स्थल तक बहुधा कच्ची सड़क के मार्ग है जो वर्षाकाल में यातायात के लिए उपयुक्त नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के साधन के रूप में मुख्यतः बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है परन्तु यातायात के इस माध्यम के द्वारा कृषि उपज को एक निश्चित दूरी तक ही ले जाया जा सकता है। परिवहन सुविधाओं के अभाव में कृषक अपनी उपज को उपयुक्त बाजार तक लाने में असमर्थ रहता है और वह अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता है।

यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से ऐसे भाग हैं जिनके समीप रेल लाइनें नहीं है। भारत में प्रायः 100 वर्ग में 2.8 मील ही रेल लाइने हैं जबकि इंग्लैण्ड में 22.7 और अमेरिका में 8.3 मील रेल की लाइने हैं। भारत में प्रति वर्गमील में केवल 20.8 मील की सड़के हैं जबकि अमेरिका में 101, ब्रिटेन में 207 और जापान में 399 मील की सड़के हैं। हमारे देश में सड़के इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि उनमें मोटरें चलना भी कठिन है। मोटर चलाने योग्य सड़कें हमारे यहाँ प्रायः 2 लाख मील लम्बी है, जिनमें से केवल 1 लाख मील पर ही वर्ष भर मोटर चल सकती है और शेष वर्षा के दिनों में बंद रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भीतरी सड़के तो वर्ष भर खराब रहती है जिन पर केवल धीरे–धीरे चलने वाली बैलगाड़ियां ही चल सकती हैं। साथ ही रेल या लारिया की भाड़ा दरें भी बहुत अधिक है। इन सब अवरोधों के कारण किसानों को अपनी वस्तुएं कृषि बाजार में भेजने में बाधा पहुँचती है। शाही कृषि श्रम आयोग के अनुसार, ''कृषि वस्तुओं को बाजार तक भेजने में मध्यस्थों की अधिक संख्या होने का एक प्रमुख कारण परिवहन सुविधाओं का अभाव होना भी है।' परिवहन सुविधायें पर्याप्त नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के कृषक अपनी उपज को मध्यस्थों के माध्यम से बेचते हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें अपनी कृषि वस्तु का उचित मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए मध्यस्थों पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे वे मण्डी में प्रचलित वर्तमान मूल्यों से अनभिज्ञ रहते हैं यदि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात साधनों तथा यातायात के माध्यमों (रास्तों) की उचित व्यवस्था की जाए तो कृषक स्वयं अपनी उपज को मण्डी स्थलों तक लाने तथा स्वयं उन्हें बेचने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कृषि वस्तुओं की विपणन क्रिया को व्यवस्थित करने के लिए उचित यातायात व्यवस्था का होना आवश्यक है।

भण्डारण सुविधाओं का अभाव

कृषि वस्तुओं के उत्पादकों के पास ऐसी भण्डारण सुविधाओं का अभाव है। जहाँ किसान अपनी उपज को कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकें तथा अच्छा भाव आने तक इंतजार कर सके। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के पास अपनी निजी भण्डारण सुविधायें हैं जिनमें कीटाणुओं व सीलन आदि से उत्पादित कृषि वस्तुओं की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ग्रामीण

क्षेत्र के कृषि उत्पादकों को प्रायः अपनी उपज को गड्ढों, खत्तियों तथा कोठियों आदि में रखना पड़ता है। ये अवैज्ञानिक रीति से बने होने के कारण चूहे, घुन, पाई, दीमक आदि हानिकारक जीवों से अनाज की रक्षा नहीं कर पाते तथा कृषि उत्पादकों को करोड़ों रूपये का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। इसके अतिरिक्त खत्तियों में धान व गेहूं अधिक दिन तक नहीं रखे जा सकते हैं पानी पड़ने पर उनके सड़ने व शीघ्र नष्ट होने का भय रहता है। ग्रामीण किसान, निर्धनता के कारण भी अपनी उपज को शीघ्र बेच देते हैं। किसान, गांव के साहूकार व महाजन से फसल की बुवाई के समय धन उधार लेते हैं और जैसे ही फसल तैयार होती है, साहूकार व महाजन अपने धन को लेने आ जाते हैं और लाचार होकर किसान को तुरन्त अपनी फसल को बेचना पड़ता है। किसान को जल्दबाजी में मण्डी भाव भी नहीं मालूम पड़ पाता और वह औने–पौने दाम में अपनी फसल बेच देता है। गांव के महाजन व साहूकार किसान की निर्धनता का पूर्ण लाभ उठाते हैं तथा उसे मण्डी तक जाने का भी समय नहीं देते हैं। किसानों को अपनी फसल की पैदावार आते ही उसे तुरन्त बेचना पड़ता है। क्योंकि गांवों में उचित संग्रहालय सुविधा का अभाव होता है। यदि किसान अपनी फसल को भण्डारगृह में रखता है तो उसकी आधी फसल तो नष्ट हो जाती है क्योंकि भण्डारगृह में कृषि पदार्थों के भण्डार के लिए उचित व्यवस्था नहीं होती है, तथा उन सुविधाओं का भी अभाव होता है जिनके द्वारा कृषि पदार्थों को संग्रहीत किया जाता है। भण्डारण की जो अपर्याप्त और अवैज्ञानिक सुविधाएं हैं, उनसे खाद्यान्न की बड़ी मात्रा में बरबादी होती है। कृषक समाज को इन सुविधाओं के अभाव में करोड़ों रूपये की हानि उठानी पड़ती है।

विक्रय कला से अनभिज्ञता

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किसानों को फसल काटकर अन्न को उचित रूप से बाजार में ले जाने का ढंग नहीं मालूम है। वे प्रायः कंकड़–मिट्टी से मिले अन्न को बाजार में ले जाकर बेचने का प्रयत्न करते हैं जिससे भाव बहुत गिर जाते है। ग्रामीण कृषक उन क्रियाओं से अनभिज्ञ होते हैं, जिसके द्वारा फसल को साफ कर बाजार में ले जाया जाता है। किसान अपनी फसल उसी रूप में बाजार में विक्रय के लिए ले जाते हैं जिस रूप में वे फसल को अपने खेत से प्राप्त करते हैं। फसल में अनावश्यक तत्व (कंकड़, मिट्टी) मिले होने के कारण मण्डी में उनकी फसल का उचित मूल्य किसानों को नहीं प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त किसान अपनी फसल को बेचने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास भी नहीं जानते जिसके द्वारा वे अपनी फसल को उच्च गुणवत्ता वाली फसल सिद्ध कर सकें। जब वे फसल लेकर मण्डी जाते हैं तो मण्डी अधिकारी उनकी फसल में मिलावट देखकर उसे निम्न गुणवत्ता फसल घोषित कर देते हैं तथा मण्डी में प्रचलित फसल मूल्य से कम मूल्य पर उनकी फसल की खरीद करते हैं। यदि किसान अपनी फसल साफ करके मण्डी में विक्रय हेतु लेकर जाए तो वह अपनी फसल की उचित कीमत प्राप्त कर सकता है परन्तु ग्रामीण किसानों को इस बात की जानकारी नहीं होती कि किस प्रकार वे अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि वे फसल विक्रय कला से अनभिज्ञ होते हैं।

संगठन का अभाव

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषक दूर–दूर स्थानों तक फैले हुए हैं। साथ ही वे आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण वे किसी शक्तिशाली संगठन का निर्माण नहीं कर पाए हैं, अतः फसल बेचते समय व्यापारी उन्हें दबा लेते हैं तथा कम मूल्य पर उपज बेचने को बाध्य करते हैं। कृषि उपज, विशेषतः व्यापारिक उपज जैसे जूट, कपास, तिलहन आदि के खरीददार बड़े पैमाने पर इन वस्तुओं को खरीदते हैं और भली प्रकार से संगठित होते हैं। इसके विपरीत इन फसलों के उत्पादक छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं और दूर–दूर तक छितरे–बितरे होते हैं। अतः इन लोगों में ऐसा कोई संगठन नहीं होता, जिससे वे अपने हितों की रक्षा स्वयं कर सकें। फलतः व्यापारिक लोग इन बेचारे उत्पादकों का शोषण मनमाने रूप से करते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापारीगण का एक समूह होता है जो कृषकों का भरपूर शोषण करते हैं। ग्रामीण कृषक स्वयं निर्धन व निरक्षर होने के कारण अपनी फसल की बिक्री के लिए इन व्यापारियों पर ही निर्भर होते हैं। व्यापारी उनकी इसी कमजोरी का लाभ उठाते हुए उनकी उपज को कम मूल्य पर खरीदकर बाजार से कम भाव उन्हें देते हैं। चूँकि किसान निरक्षर होते हैं। अतः वे आपस में संगठित भी नहीं होते जिसके कारण व्यापारी

इन किसानों से अपने अनुरूप फसल को प्राप्त कर लेते हैं। ग्रामीण कृषक संगठन के महत्व को नहीं समझते अतः वे स्वयं में ही निर्णय लेकर व्यापारियों को अपनी फसल कम मूल्य पर बेचने को तैयार हो जाते है। व्यापारी किसानों में संगठन के अभाव का लाभ उठाते हैं और उन्हें उनकी उपज का कम मूल्य प्रदान करते हैं।

बाँट–तौल की विविधता

अनियंत्रित ग्रामीण मण्डियों में विभिन्न प्रकार के बांटों का प्रयोग किया जाता है। इन बाटों में अत्यधिक भिन्नताएं होती हैं और बहुधा भोले–भाले किसानों का इनके द्वारा शोषण किया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कहीं पर भी नापतौल के पैमाने में सजातीयता नहीं पायी जाती है। कृषि पर शाही आयोग ने बम्बई प्रदेश के पूर्वी खानदेश के 16 पूर्वी बाजारों का पर्यवेक्षण करके पता लगाया कि वहां पर मन (Maund) 13 प्रकार का पाया जाता था जो कि 21.5 सेर से लेकर 80 सेर तक के प्रचलित थे। मध्य प्रदेश में मापतौल के पैमाने 'मणि' 'किन्नो' तथा 'खण्डी' के नाम से प्रचलित हैं जिनका वजन विभिन्न बाजारों में भिन्न–भिन्न होता है। असम में चावल की नापतौल विभिन्न प्रकार की टोकरियों द्वारा होती है।

निष्कर्ष

आर्थिक विकास में कृषि की भूमिका के सम्बन्ध में प्रो. लुईस, जैकब वाइनर तथा किण्डलबर्जर जैसे अर्थशास्त्रियों का मत है कि विकास प्रक्रिया में कृषि विकास को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि घरेलू मांग की पूर्ति, आत्मनिर्भरता तथा निर्यात वृद्धि जैसी आधारभूत समस्यायें कृषिगत विकास से ही हल की जा सकती हैं। कृषि विकास का अर्थ है कि कृषि आधारित वस्तुओं का अधिक उत्पादन, अधिक आय, अधिक रोजगार तथा कृषकों के लिए बेहतर जीवन स्तर। जब कृषि का विकास होता है तब यह क्षेत्र विशेष की सम्पूर्ण आर्थिक प्रगति को त्वरित करता है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र विशेष के लिए कृषि विकास के लक्ष्य निर्धारित करने तथा कृषिगत विकास की रणनीति तैयार करने के लिए अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र के महत्व तथा उसके आर्थिक विकास के साथ सम्बन्ध को समझना विशेष महत्व रखता है। योजनाकाल में कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के द्वारा तथा हरित क्रान्ति के कारण गाँवों में अमीर किसानों का वर्ग उत्पन्न हुआ जो वाणिज्यिक खेती करता था। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ के लिए खेती करना था तथा यह वर्ग पुरानी विपणन व्यवस्था से असंतुष्ट था और उसमें सुधार चाहता था। झुंझुनूं के किसान की कुछ ऐसी प्राथमिक तथा कृत्रिम असमर्थताएं होती है जो कृषि विपणन को सफल बनाने में बाधक होती है। कृषि उत्पादन स्वयं ही बहुत कुछ दैवी अनुकम्पा पर निर्भर करता है। यदि कृषि विपणन की व्यवस्था समुचित कर दी जाए तो निःसंदेह कृषि उद्योग पर दैवी प्रकोप कम किया जा सकता है। इसी प्रकार यदि अर्थव्यवस्था में कृषि तथा कृषक दोनों की दशा सुधारनी है अच्छी फसलें उत्पन्न करने के स्वप्न को पूरा करना है तो फसलों के उचित मूल्य की व्यवस्था करनी ही होगी। कृषि वस्तुओं का उचित तथा सन्तोषजनक विपणन कृषि विकास की आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दशा है क्योंकि जब तक किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता, तब तक वे कृषि में पूंजीकरण या उत्पादन की उन्नत तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित नहीं होंगे। भारत में कृषि विपणन अत्यन्त ही दोषपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है जिससे कृषक को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलता।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सूरजमान (1995) – फसलों में जल प्रबन्ध, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
2. भाटिया, एस.एस. – 'पैटर्नस ऑफ क्रोप कन्सट्रेशन एण्ड डाइवर्सीफिकेशन इन इंडिया' इकानामिक ज्योग्राफी, वोल्यूम 41 नं.–1–1995
3. प्रो. एच. एस. शर्मा, डॉ. एम. एल. शर्मा, डॉ. जे.के. शर्मा – भारत का नूतन भूगोल
4. सूरजमान (1982) :– मृदा और जल संरक्षण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली

❖◆❖